न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

नजरसानी रेफ./एल.आर./11212/2008/अलवर

मन्दिर श्री शिवजी महाराज विराजमान अलवर बहतमाम पुजारी बाबा रूपनाथ चेला त्रिलोकीनाथ निवासी काली मोहरी बाबा हीरानाथ जी का स्थान अलवर

...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर
2. पंकज भारद्वाज पुत्र श्री वी.एस.भारद्वाज जाति ब्राह्मण निवासी क्यू–253 साउथ सिटी–1, गुडगॉवा (हरियाणा)

....अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री एच.एस.भारद्वाज, सदस्य

उपस्थित–
श्री खडगसिंह, अभिभाषक प्रार्थी
श्री आर.के.गुप्ता, राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं.1
श्री अशोकनाथ, अभिभाषक अप्रार्थी सं.2

दिनांक 21-2-2012

निर्णय

प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 86 के अंतर्गत राजस्व मण्डल की माननीय एकल पीठ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6–8–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के द्वारा अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत एक रेफरेन्स माफी मंदिर श्री शिवजी महाराज अलवर के ग्राम बेरका तहसील अलवर स्थित संदर्भित आराजी के बाबत रेफरेन्स उनके आदेश दिनांक 31–3–08 के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया। राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने उक्त रेफरेन्स को अपने निर्णय दिनांक 6–8–2008 के द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

HEARD BY

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपने पुनर्विलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए कथन किया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के द्वारा रेफरेन्स करने पर उसे पक्षकार नहीं बनाया गया। उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये माननीय न्यायालय की एकल पीठ ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 6–8–2008 पारित कर दिया। इसलिए उनके पास माननीय न्यायालय के समक्ष नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

5. उन्होंने आगे कथन किया कि रेफरेन्स जमाबंदी संवत् 2014 की प्रविष्टी के आधार पर किया गया था किन्तु माननीय न्यायालय ने उक्त प्रविष्टी को नजरअंदाज कर अपना निर्णय संवत् 2015 के पश्चात्वर्ती खसरा गिरदावरी के आधार पर पारित किया है जो पुनरावलोकन के योग्य है।

6. उन्होंने यह भी कथन किया कि रेफरेन्स के लिए अधिनियम में कोई मियाद निर्धारित नहीं है। शून्य आदेश के विरूद्ध रेफरेन्स करने में वैसे भी मियाद बाधक नहीं होती। माननीय न्यायालय ने संवत् 2014 की प्रविष्टी को किस आधार पर विचारित नहीं कर खसरा गिरदावरी संवत् 2015 को वरीयता दी है, इसका विवेचन नहीं किया गया है। मंदिर मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग है उसकी आराजी पर अन्य को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते इसके बावजूद माननीय न्यायालय ने रेफरेन्स खारिज किया है जो अभिलेख के आमुख पर प्रकट भूल है अतः उन्होंने निवेदन किया कि पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार कर उसे दुरूस्त किया जाये।

7. अप्रार्थी संख्या 1 राज्य सरकार की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की।

8. अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत तर्को का खण्डन करते हुए कथन किया कि माननीय एकल पीठ का निर्णय दिनांक 6–8–2008 सही एवं विधि सम्मत है। उसके विरूद्ध पुनर्विलोकन आवेदन प्रकरण संख्या 4834/2009 राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया था जिसे इसी न्यायालय की माननीय एकल पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 13–10–2010 को खारिज कर दिया है। चूंकि आक्षेपित निर्णय दिनांक 6–8–2008 माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 13–10–2010 में संविलयित (Merge) हो गया है अतः हस्तगत पुनरावलोकन आवेदन संधारणीय नहीं होने से अपास्त योग्य है।

9. अभिभाषक अप्रार्थी का आगे कथन है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 86 के अंतर्गत बोर्ड उनके द्वारा पारित निर्णय में मुकदमे के पक्षकार के

COMPARED BY

आवेदन पर ही अपने निर्णय को पुनरावलोकित कर सकता है। पुनरावलोकन भी जाप्ता दीवानी के आदेश 47 नियम 1 में वर्णित आधार पर अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (i) एवं (ii) में वर्णित शर्त के अध्यधीन ही हो सकता है। उन्होंने इस संबंध में 1993 RRD page 498, 1995 RRD page 374, RRT 2005 (I) page 545 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

10. उनका यह भी कथन है कि पुनर्विलोकन आवेदन का क्षेत्राधिकार अत्यधिक संकुचित होता है। पुनरावलोकन आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपीलेट न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करना है। उन्होंने इस संबंध में 1994 RRD page 335, 1993 RRD page 388 एवं AIR 1995 SC page 455 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

11. अभिभाषक अप्रार्थी ने पुनरावलोकन आवेदन को कालबाधित बताते हुए तथा इस विलंब का कोई सम्यक आधार दर्शित नहीं करने के आधार पर भी आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया।

12. उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों एवं माननीय एकल पीठ के निर्णयों का अध्ययन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

13. प्रार्थी ने अधिनियम की धारा 86 के अंतर्गत आवेदन किया है जिसमें पुनरावलोकन का निम्न प्रावधान है–

"86. **मण्डल तथा अन्य न्यायालयों द्वारा पुनरावलोकन**– (1) मण्डल स्वयं अपनी ओर से अथवा किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही के पक्षकार के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर अपनी या अपने ही किसी सदस्य द्वारा दी गई आज्ञा का पुनरावलोकन कर सकेगा और उसे विखण्डित (Rescind) परिवर्तित (Alter) या पुष्ट (Confirm) कर सकेगा।

(2) प्रत्येक अन्य राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी या तो स्वयं अपनी ओर से या हित रखने वाले किसी पक्षकार के आवेदन पत्र पर अपने द्वारा अथवा अपने पद के पूर्वाधिकारियों के द्वारा दी गई किसी आज्ञा का पुनरावलोकन कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसी आज्ञाऐं दे सकेगा जिन्हे वह उचित समझे,

परन्तु शर्त यह कि–

(i) कोई भी आज्ञा परिवर्तित की या उलटी नहीं जाएगी जब तक कि उसमें हित रखने वाले पक्षकारों को उपस्थित होने का नोटिस नहीं दिया गया हो और ऐसी आज्ञा के समर्थन में उनकी सुनवाई न कर ली गई हो।

COMPARED BY

(ii) किसी भी आदेश जिसकी अपील की गई है या जो पुनरीक्षण कार्यवाहियों (Revision Proceedings) का विषय है का पुनरावलोकन तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ऐसी अपील या कार्यवाही विचाराधीन हो।

(iii) प्राइवेट व्यक्तियों के बीच में किसी अधिकार के प्रश्न को प्रभावित करने वाली किसी आज्ञा का पुनरावलोकन सिवाय कार्यवाहियों में से किसी पक्षकार के प्रार्थना पत्र दिये जाने के नहीं किया जायेगा तथा ऐसे आदेश के पुनरावलोकन करने के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऐसा आदेश होने के नब्बे दिन के भीतर नहीं दिया गया हो।

(3) इस धारा के अधीन पुनरावलोकन के लिए आवेदन सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की प्रथम सूची के आदेश 47 नियम 1 में वर्णित आधारों में से किसी आधार पर किया जा सकेगा और उक्त आदेश के उपबंध, इस धारा की उप धारा (i) या उप धारा (ii) में अंकित अन्तर्विष्ट की उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए लागू होगा।

14. अधिनियम की धारा 86 में सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में वर्णित आधारों पर पुनरावलोकन करने का प्रावधान किया गया है। सिविल प्रकिया संहिता का आदेश 47 नियम 1 निम्नानुसार है–

निर्णय के पुनरावलोकन के लिए आवेदन– (1) जो कोई व्यक्ति

(क) किसी ऐसे आदेश या डिक्री जिसकी अपील अनुज्ञात (Allowed) है किन्तु जिसकी अपील नहीं की गई है।

(ख) किसी ऐसे आदेश या डिक्री जिसकी अपील अनुज्ञात नहीं है, अथवा

(ग) लघुवाद न्यायालय द्वारा किये गये निर्देश पर विनिश्चय से–

अपने को व्यथित समझता है और जो ऐसी नई व महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक तत्परता के प्रयोग के पश्चात उस समय जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश दिया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था या किसी भूल या त्रुटि के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है कि उसके विरूद्ध पारित डिक्री या आदेश का पुनरावलोकन किया जाये, वह उस न्यायालय के निर्णय के पुनरावलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा जिसने वह डिक्री या आदेश पारित किया हो।

15. अधिनियम की धारा 86 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि बोर्ड अपने द्वारा पारित निर्णय का पुनरावलोकन स्वयं अपनी ओर से अथवा मुकदमे या अन्य कार्यवाही के

COMPARED BY

पक्षकार द्वारा दिये प्रार्थना पत्र पर ही कर सकता है। माननीय राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ ने 1993 RRD page 498, एकल पीठ ने 1984 RRD page 848 एवं 1995 RRD page 296 पर अवधारित किया है कि मुकदमे या कार्यवाही में पक्षकार ही पुनरावलोकन के लिए आवेदन कर सकता है। माननीय एकल पीठ के द्वारा निर्णीत प्रकरण संख्या 4644/2008 में मंदिर श्री शिवजी महाराज पक्षकार नहीं है। राज्य सरकार ने अप्रार्थी पंकज भारद्वाज के विरूद्ध रेफरेन्स किया है जिसे माननीय एकल पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 6–8–08 के द्वारा खारिज कर दिया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार के द्वारा पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण संख्या 4834/2009 में दिनांक 13–10–10 को माननीय एकल पीठ ने निर्णीत भी कर दिया है। ऐसी स्थिति में जबकि मंदिर श्री शिवजी महाराज प्रकरण संख्या 4644/2008 में पक्षकार ही नहीं थे तो वे प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 6–8–08 के पुनरावलोकन आवेदन के लिए धारा 86 के अंतर्गत पात्र नहीं है।

16. धारा 86 में पुनरावलोकन आवेदन सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में वर्णित आधार पर किया जा सकता है। प्रार्थी ने उपर्युक्त प्रावधान में वर्णित ऐसा कोई आधार या ऐसी गलती उक्त निर्णय में नहीं दर्शाई है जो अभिलेख के आमुख पर प्रकट होती हो। उन्होंने संवत् 2014 की जमाबंदी में विद्यमान प्रविष्टी के स्थान पर संवत् 2015 एवं उसके पश्चात की खसरा गिरदावरी को वरीयता देकर रेफरेंस खारिज करने को कानूनी गलती बताकर पुनरावलोकन चाहा है। उनके अनुसार मंदिर शाश्वत नाबालिग है किंतु इस तथ्य को भी स्वीकार नहीं करके रेफरेंस खारिज करने में न्यायालय ने कानूनी गलती की है जिसे पुनरावलोकित किया जाये। प्रार्थी के उक्त तर्क का विश्लेषण आक्षेपित निर्णय दिनांक 6–8–08 के प्रसंग में करें तो ज्ञात होता है कि माननीय न्यायालय ने इन सभी बिन्दुओं का विवेचन करके निर्णय पारित किया है। न्यायालय के द्वारा तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं का विश्लेषण करके प्रदत्त अवधारणा को गलत मानकर पुनरावलोकित नहीं कराया जा सकता। माननीय राजस्व मण्डल ने 1995 RRD page 374 पर यह स्पष्टतः अवधारित किया है कि–

"An erroneous view of law on a debatable point or a wrong exposition of law or a wrong application of law or failure to apply the appropriate law cannot be considered to be a mistake or an error apparent on the face of the record."

पूरा बनाम सरकार 1982 RRD page 314 एवं सरकार बनाम पीथा 1990 RRD page 481 पर अवधारित किया है कि " The right of review, not available even if case, decided wrong - Such a finding cannot be said to be a finding suffering from error apparent on face of record."

SIGNED BY

मण्डल की खण्ड पीठ ने 1993 RRD page 498 पर भी यही मत प्रकट किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने RRT 2005 (1) page 545 पर पुनः इस मत को पुष्ट किया है कि " view taken in the judgement may be erroneous but it can not be ground for review."

उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रकरण में पुनरावलोकन किया जाना किसी भी तरह से न तर्कसंगत है एवं न ही विधि सम्मत।

17. अभिभाषक अप्रार्थी के इस कथन के बारे में कि न्यायालय का पुनरावलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार अत्यंत सीमित है एवं इसे अपील की तरह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता का अवलोकन एवं अनुशीलन यदि माननीय न्यायालयों द्वारा दिये विभिन्न निर्णयों के प्रकाश में देखें तो अप्रार्थी का कथन अतार्किक या आधारहीन दिखाई नहीं देता। 1994 RRD page 335 पर यह अवधारित किया है कि पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग न्यूनतम मामलों (Rarest of the rare) में किया जाना चाहिये। माननीय न्यायालय का यह भी अभिमत है कि पुनरावलोकन तभी किया जा सकता है जब अभिलेख के आमुख पर ऐसी गलती प्रकट हो जिसे न्यायालय रिकार्ड पर रखना ही पसंद नहीं करे। इसी संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा AIR 1995 SC page 455 पर दी गई अवधारणा उल्लेखनीय है कि–

" Review court not to act as Appellate Court."

स्पष्टतः न्यायालय की अपने निर्णय को पुनरावलोकन की शक्ति वस्तुतः अत्यंत सीमित है और उनका उपयोग अभिलेख पर प्रकट त्रुटि को ठीक करने के लिए ही करना चाहिये, अपीलेट कोर्ट के रूप में नहीं। इस दृष्टि से प्रस्तुत प्रकरण में आक्षेपित आदेश दिनांक 6–8–08 के विखंडित (Rescind) परिवर्तित (Alter) करने की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती।

18. अभिभाषक अप्रार्थी का यह भी कथन है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 6–8–08 के विरूद्ध पुनर्विलोकन आवेदन 30 दिवस के पश्चात प्रस्तुत करने के कारण बेरून मियाद है, बेशक तकनीकी दृष्टि से उनका उक्त कथन अनुचित नहीं है किंतु प्रस्तुत प्रकरण में जबकि प्रार्थी पक्षकार नहीं था, मियाद के बिन्दु पर प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित प्रतीत नहीं होता।

19. निष्कर्षतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर जबकि प्रार्थी आक्षेपित निर्णय के प्रकरण में पक्षकार नहीं था पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से सक्षम नहीं है। आक्षेपित निर्णय में अभिलेख पर प्रकट कोई त्रुटि भी विद्यमान नहीं है। पुनरावलोकन न्यायालय की शक्तियां अपीलीय न्यायालय के मुकाबिल अत्यन्त

सीमित है, ऐसी स्थिति में मण्डल की एकल पीठ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6–8–2008 को पुनरावलोकन किया जाना उचित नहीं है।

20. फलतः माननीय एकल पीठ का संदर्भित आदेश यथावत रखा जाता है तथा पुनरावलोकन आवेदन खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एच.एस.भारद्वाज)
सदस्य

COMPARED BY

निदेशक